

D

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. 2018/20229

महोदयजी, पक्षी का नाम उग्रम - सांगरिया जमाबन्दी सं: 1042-75
खता सं: 980 में रतन चमार अंकित है, जबकि आधार बडि में
पक्षी का नाम रतन बैरवा अंकित है। खता मुताबिक आधार बडि
में पक्षी का नाम रतन चमार ही अजाय रतन बैरवा रत्न अंकित है।


24.5.18
(हरिराम माली)

पटवारी, प. म. सांगरिया
फुलियाकलां (भीलवाड़ा)
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार फुलियाकलां

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं ग.प. सीओएच अधिकारी के पक्ष


तहसीलदार
फुलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

पुं.सं. 243 / 18

आदेश कैम्प सांगरिया दिनांक 24/5/18

इस रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकलां के आश की जमाबन्दी
संवत् 2072-2075 के खता सं: 980 में रतन चमार के
वजाय रतन बैरवा किये जाने के आदेश दिया जाता है।
पालनाथ तहसीलदार को भेजा जावे।



उपसखंड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

उपसखंड अधिकारी

(भीलवाड़ा) राज.